बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
अधिसूचना

सं0सं0–9/आ0–03–19/2019(स्वा0) ..... /पटना, दिनांकः–.....

डॉ० रविन्द्र कुमार, तत्कालीन सिविल सर्जन, सीतामढ़ी के विरूद्ध निगरानी विभाग (अन्वेषण ब्यूरो), बिहार, पटना के पत्रांक–2274 दिनांक–13.11.2019 द्वारा पदीय कार्य के निर्वहन हेतु 50,000/–रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ दिनांक–09.11.2019 को गिरफ्तार होने के फलस्वरूप न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के आरोप को प्रतिवेदित किया गया। विभागीय अधिसूचना सं०–1406(9) दिनांक–19.11.2019 द्वारा डॉ० कुमार को काराधीन होने की तिथि से निलंबित किया गया।

2. डॉ० कुमार द्वारा कारा से मुक्ति के उपरान्त दिनांक–27.01.2020 को विभाग में योगदान किया गया। विभागीय अधिसूचना सं०–392(9) दिनांक–27.03.2020 द्वारा डॉ० कुमार को निलंबन मुक्त किया गया। आरोपो की गंभीरता को देखते हुए विभागीय अधिसूचना सं०–393(9) दिनांक–27.03.2020 द्वारा डॉ० कुमार को पुनः निलंबित किया गया। दिनांक–31.08.2020 को डॉ० कुमार का वार्धक्य सेवानिवृत होने के कारण विभागीय अधिसूचना सं०–1069(9) दिनांक–13.10.2020 के द्वारा दिनांक–31.08.2020 के प्रभाव से निलंबन मुक्त किया गया है।

3. पुलिस अधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना के पत्रांक–2274 दिनांक–13.11.2019 द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर उपर्युक्त आरोपों के आलोक में विभागीय संकल्प सं०–151(9) दिनांक–22.02.2021 द्वारा मुख्य जाँच आयुक्त, बिहार के अधीन विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

4. संचालन पदाधिकारी के पत्रांक–178 दिनांक–31.10.2023 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। श्री केशव कुमार (परिवादी) को निगरानी अन्वेषण ब्यूरो द्वारा जो 50,000/–रुपये रसानिक पदार्थ लगाकर दिया गया, उसे डॉ० कुमार के कमरे में रखे काले बैग से प्राप्त होने, उनके हाथों को नमक के घोल में डालने पर पानी का रंग बदलने से प्रमाणित पाया गया कि स्थानान्तरण आदेश को रद्द करने हेतु रिश्वत लेने का आरोप (एक तरफ डाटा इन्ट्री ऑपरेटर कार्य में स्थिलता बरतने के आधार पर स्थानान्तरित करने वही दूसरी तरफ चिकित्सीय पर्ची के आधार पर दो डाटा ऑपरेटर को पुनः स्थानान्तरित करने से उनकी सत्यनिष्ठा को संदिग्ध माना गया है) को जाँच–प्रतिवेदन (अधिगम) में प्रमाणित होने का मंतव्य दिया गया।

5. विभागीय पत्रांक–3(9) दिनांक–02.01.2024 द्वारा डॉ० कुमार से द्वितीय कारण–पृच्छा की माँग की गयी। डॉ० कुमार द्वारा प्रत्युत्तर समर्पित कर अवगत कराया गया है कि संचालन पदाधिकारी द्वारा सात गवाहों में तीन गवाहो का गवाही नहीं लिया गया। चिकित्सीय आधार पर जिस डाटा ऑपरेटर का स्थानान्तरण किया गया, उसकी गवाही नहीं लिया गया। जिन चार गवाहों द्वारा गवाही दिया गया है, उसमें भी परस्पर विरोध है। शेष गवाहों का बयान लेने पर वे निर्दोष पाये जाते।

6. अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा मामले की समीक्षोपरान्त डॉ० रविन्द्र कुमार, तत्कालीन सिविल सर्जन, सीतामढ़ी द्वारा स्वास्थ्य संस्थानों में डाटा संबंधित कार्य सुचारू रूप से नहीं करने के कारण उनके आदेश सं०–1132(DHS) दिनांक–19.10.2019 द्वारा छः डाटा इन्ट्री ऑपरेटर को स्थानान्तरित किया गया। पुनः आदेश सं०–1153(DHS) दिनांक–30.10.2019 के द्वारा छः ऑपरेटर में से दो डाटा इन्ट्री ऑपरेटर को चिकित्सीय पर्ची के आधार पर पुनः अन्य संस्थान में स्थानान्तरित कर दिया गया। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, रून्नीसैदपुर, सीतामढ़ी के पत्रांक–203 दिनांक–07.11.2019 द्वारा श्री केशव कुमार, डाटा इन्ट्री ऑपरेटर को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बैरगनिया से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, रून्नीसैदपुर, सीतामढ़ी में स्थानान्तरित करने की अनुशंसा की गयी। उक्त पत्र के पार्श्व

08/07/2025

(15)

भाग पर डॉ० रविन्द्र कुमार, तत्कालीन सिविल सर्जन, सीतामढ़ी द्वारा दिनांक–09.11.2019 को स्थानान्तरण पर सहमति अंकित किया गया। इसी क्रम में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो द्वारा दिनांक–09.11.2019 को श्री केशव कुमार, डाटा इन्ट्री ऑपरेटर से 50,000/–रुपये रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। डॉ० कुमार द्वारा समर्पित प्रत्युत्तर से संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में अंकित निष्कर्ष खण्डित नहीं होता है। संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन में अंकित निष्कर्ष से सहमत होते हुए डॉ० कुमार के विरूद्ध श्री केशव कुमार, डाटा इन्ट्री ऑपरेटर से स्थानान्तरण आदेश को रद्द करने हेतु रिश्वत की माँग करने एवं रिश्वत लेने का आरोप प्रमाणित होता है।

7. डॉ० कुमार के विरूद्ध उक्त आरोप बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 के नियम–3 (1) (i)(ii)(iii) प्रावधानों के प्रतिकूल हैं फलतः डॉ० कुमार के विरूद्ध पदीय कार्य के निर्वहन हेतु रिश्वत की राशि प्राप्त करने के प्रमाणित आरोप के आलोक में बिहार पेंशन नियवाली, 1950 के नियम–43(क) के अधीन उपदान सहित शत–प्रतिशत पेंशन की राशि जब्त करने का दण्ड अधिरोपित करने का विनिश्चय किया गया है।

8. विभागीय पत्रांक–928(9) दिनांक–27.09.2024 एवं 303(9) दिनांक–24.03.2025 के आलोक में उक्त अधिरोपित दण्ड प्रस्ताव पर बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक–1400 दिनांक–01.07.2025 द्वारा सहमति प्रदान की गयी है।

9. डॉ० रविन्द्र कुमार, तत्कालीन सिविल सर्जन, सीतामढ़ी सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध पदीय कार्य के निर्वहन हेतु रिश्वत की राशि प्राप्त करने के प्रमाणित आरोप के आलोक में बिहार पेंशन नियवाली, 1950 के नियम–43(क) के अधीन उपदान सहित शत–प्रतिशत पेंशन की राशि जब्त करने की शास्ति अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है।

10. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह०/–
(उपेन्द्र राम)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांकः–9/आ0–03–19/2019(स्वा0) ..... **/पटना, दिनांकः–**.....

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, (ले० एवं हक०) बिहार पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी/कोषागार पदाधिकारी, सीतामढ़ी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांकः–9/आ0–03–19/2019(स्वा0) 7389 **/पटना, दिनांकः–** 08.07.25

प्रतिलिपिः–क्षेत्रीय अपर–निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–माननीय मंत्री (स्वा0) के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वा0 विभाग के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य विभाग, के प्रधान आप्त सचिव/विशेष सचिव, स्वास्थ्स विभाग/सभी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाऐं, बिहार पटना के निजी सहायक को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः–डॉ० रविन्द्र कुमार, तत्कालीन सिविल सर्जन, सीतामढ़ी सम्प्रति सेवानिवृत्त पत्राचार का पता–मीनासदर, ज्योति नगर, संदलपुर, पो०–महेन्द्रु, थाना–बहादुरपुर, पटना–800006 मो०–9931660355 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–प्रशाखा पदाधिकारी 2, 3, 7, 8, 10, 17 एवं 18A को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–आई0टी0 मैनेजर, स्वा0 विभाग को विभागीय वेबसाइट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

08/07/2025
सरकार के अवर सचिव।